रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112020-223025 CG-DL-E-10112020-223025

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570] No. 570] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2020/ कार्तिक 19, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2020/KARTIKA 19, 1942

संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2020

सा.का.नि.694(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) संशोधन नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(2क) उपनियम (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया निलंबन आदेश पंद्रह दिवस से अधिक के लिए प्रचालन में नहीं रहेगा ।"

[फा.सं. 800-37/2016-एएस-॥/भाग ॥

एस.बी. सिंह, डीडीजी (एएस)

5456 GI/2020 (1)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. सं. 998(अ) तारीख 7 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2020

- **G.S.R. 694(E).**—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules, 2017, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Temporary Suspension of Telecom Services (Amendment) Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules, 2017, in rule 2, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- "(2A) The suspension order issued by the competent authority under sub-rule (1) shall not be in operation for more than fifteen days."

[F.No.800-37/2016-AS.II/Part-I]

S. B. SINGH, DDG(AS)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide number G.S.R 998(E), dated the 7th August, 2017.